समाहरणालय, सहरसा
(जिला आपूर्ति शाखा)

पत्रांक   /आ०,

प्रेषक,
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

सेवा में,
निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार पटना।

सहरसा, दिनांक.............अगस्त, 2021 ई०।

विषय :- **विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना से प्राप्त विभागीय निदेश के आलोक मे सदर अनुमंडल, सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल अन्तर्गत वर्ष-2018 के रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों से संबधित रिक्तियो के विरूद्ध आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना है। विज्ञापन प्रकाशन हेतु विज्ञापन प्रारूप तीन (03) प्रति में एवं इसका सी०डी० इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है। आवेदन पत्रों का आमंत्रण ....1/9/21.... से ....15/9/21.... के बीच जिला आपूर्ति कार्यालय, सहरसा में किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि कम से कम तीन प्रमुख दैनिक अखबारों (कोशी संस्करण) में इसे अविलम्ब प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक......733 आपू/आ०, दिनांक ....12...... अगस्त, 2021 ई०।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को प्रेस विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को प्रेस विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को प्रेस विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vol 12/8/21

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

Scanned by TapScanner

समाहरणालय, सहरसा

(जिला आपूर्ति शाखा)

— : प्रेस विज्ञप्ति :—

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1124 खाद्य, दिनांक 03.03.2021 एवं पत्रांक 2236 खाद्य, दिनांक 22.06.2021 द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नई अनुज्ञप्ति निगर्मन का कार्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) –2016 में वर्णित प्रावधान के तहत सम्पन्न किया जाना है।

वर्ष–2018 में जनवितरण वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त कुल रिक्त के विरुद्ध कुछ पंचायतो में संबंधित कोटि के लिए आवेदन अप्राप्त रहने, अनुज्ञप्ति हेतु अर्हता पूर्ण नही करने, वांछित शुल्क जमा नही किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदो को भरने हेतु दिनांक–15.01.2021 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के आलोक में सहरसा जिला अन्तर्गत सदर अनुमंडल एवं सिमरी अनुमंडल के जनवितरण प्रणाली की रिक्तिया जिसका विवरण निम्नवत है। रिक्ति को भरने हेतु सबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासीयो से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र०	अनुमंडल का नाम	कोटिवार कुल रिक्तियों की विवरणी									
		अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु०जाति महिला	अ०पि०वर्ग	अ०पि०वर्ग महिला	पि०वर्ग	पि०वर्ग महिला	अना०	अना० महिला	**कुल रिक्ति**
1	सदर सहरसा	00	01	01	02	03	01	01	00	02	**11**
2	सिमरी बख्तियारपुर	00	00	01	00	00	00	00	00	00	**01**

1. **आवेदन पत्र जमा करने हेतु दिशा निर्देश** :– संबंधित आवेदक से विहित अनुसूची–1 में तथा सहायता समूह, महिलाओं के सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ अनुसूची–2 में अपना आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। आवेदन पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जाएगा तथा आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जाएगी। आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ भरे होने चाहिए। कटे–फटे अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र जिला आपूर्ति कार्यालय, सहरसा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
2. **शैक्षणिक योग्यता** :– उचित मूल्य की दूकान हेतु आवेदक मैट्रिक पास एवं आवदन देने की तिथि को व्यस्क होना चाहिए । परंतु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथिमकता दी जाएगी। कम्प्यूटर ज्ञान समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमे भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. **अनुज्ञप्ति निर्गत करने में प्राथमिकताए** :–
   (क) स्वयं सहायता समूह (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ, (ग) शिक्षित बेरोजगार (घ) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. **अनुज्ञप्ति पाँच वर्षो के लिए निर्गत की जाएगी**
5. **निम्नलिखित व्यक्तियों को दूकान आवंटित नहीं की जाएगी** :–
   (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सतौले भाई परिवार की परिभाषा में आऐंगे। (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दूकान के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्हित (Disqualified) रहेंगे।
   (ग) आटा–चक्की के मालिक एवं उसके निकट सबधियों को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जाएगी। (घ) अव्यस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जाएगी। (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम–10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति को उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जाएगी। (च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दूकान आवंटित नहीं की जाएगी।
6. **आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम तिथि** ::– आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिनांक 1/9/21 से दिनांक 15/9/21 के अपराह्न 05.00 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय, सहरसा में प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात्त प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नही की जाएगी।
7. चयन प्रक्रिया :– सभी प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्रों को अनुमंडल पदाधिकारी, सह अनुज्ञापन पदाधिकारी को भेजकर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक से जॉच करवाई जाएगी। जांचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ भेजेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदकों को संबंधित अनुमंडल

Scanned by TapScanner

पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान से अनुज्ञप्ति फीस प्राप्त कर उचित मूल्य की दूकान की अनुज्ञप्ति अनुसूचि 3 में निर्गत की जाएगी।

8 **सदर अनुमंडल, सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर के लिए रिक्त जन वितरण प्रणाली के दूकानों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ निम्नांकित है :**

सदर अनुमंडल, सहरसा।					
क्र०	प्रखंड / नगर परिषद का नाम	पंचायत का नाम / वार्ड संख्या	रिक्ति की संख्या	कोटि	रोस्टर बिन्दु (वर्ष 2017 में तैयार रोस्टर बिन्दु के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	नवहट्टा	चन्द्रायण	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	566
2	महिषी	बघवा	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	600
3	शहरी क्षेत्र, सहरसा	वार्ड नं0-03	01	पिछड़ा वर्ग की महिला	618
4	कहरा	सुलिन्दाबाद	01	अत्यत पिछड़ा वर्ग	650
5	पतरघट	गोलमा पूर्वी	01	अनुसूचित जाति	692
6		पतरघट	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	700
7		जम्हरा	01	अनारक्षित महिला	703
8		पामा	01	अनुसूचित जाति महिला	710
9	सोनवर्षा	सोनवर्षा	02	अनारक्षित महिला	721
10				पिछड़ा वर्ग	722
11		विराटपुर	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	726
सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल					
01	सिमरी बख्तियारपुर	कठडुमर	01	अनुसूचित जाति महिला	224

नोट :–

1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खीचा हुआ) तीन प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दाँये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अकित करना होगा।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत / वार्ड नम्बर का नाम लिखना होगा। जिस पंचायत / वार्ड नम्बर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
4. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
6. संबंधित पंचायत / वार्ड का निवासी होने के लाभ के लिए अंचल अधिकारी द्वार निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ सलग्न करना होगा।
7. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण दूकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता, खेसरा एवं क्षेत्रफल से संबंधित खतियान / केवाला तथा अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
8. एक से अधिक पंचायत / वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

Scanned by TapScanner